बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–1/विविध–58/2012– 155(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 4/3/2014

"राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011" उद्योग विभाग के संकल्प सं0– 691, दिनांक– 09.06.2011 द्वारा अधिसूचित है। इस संकल्प के कार्यनीति के क्रमांक–(ix) द्वारा राज्य सरकार के थ्रस्ट एरिया चिन्हित किये गये हैं। इसके बिन्दु–4 द्वारा सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल एवं बिन्दु –5 द्वारा उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान को थ्रस्ट एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है।

(2) उद्योग विभाग के उपर्युक्त औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–6 के अनुसार–

"कार्यनीति की कंडिका–(ix) में चिन्हित थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जायेगा"।

(3) तद्नुसार सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत थ्रस्ट एरिया में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के निम्नांकित क्षेत्रों को इस दायरे में शामिल किया जाता है–

(क) सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों के अंतर्गत निम्न विभागों को चिन्हित किया जाता है–

1. Cardiology	2. Endocrinology
3. Gastroenterology	4. Medical Oncology
5. Neonatology	6. Nephrology
7. Neurology	8. Neuro Radiology
9. Pulmonary Medicine	10. Rheumatology
11. Cardio Thorasic Surgery	12. Neuro Surgery
13. Oncology	14. Paediatric Surgery
15.Plastic Surgery	16. Surgical Gastroenterology
17. Surgical Oncology	18. Urology

(ख) उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान के अन्तर्गत निम्नांकित संस्थानों को चिन्हित किया जाता है–

(i) चिकित्सा महाविद्यालय, जिनमें एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 डिग्री की अध्ययन की सुविधा है।

(ii) दंत महाविद्यालय, जिनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा है।

(iii) नर्सिंग कॉलेज, जिनमें बी0एस0सी0 नर्सिंग, एम0एस0सी0 नर्सिंग तथा पी0एच0डी0 की अध्ययन की सुविधा है।

(iv) फार्मेसी कॉलेज, जिनमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा है एवं

(v) पारा मेडिकल संस्थान, जिनमें स्नातक अध्ययन की सुविधा है।

(4) सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले मशीन एवं उपकरणों को लगाने में लगने वाली लागत को राज्य के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के उपर्युक्त उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थानों में प्रयुक्त होने वाले मशीन तथा उपकरणों को लगाने में लगने वाली लागत को राज्य के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

(5) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(6) इसमें उद्योग विभाग की सहमति एवं माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\sec-1-file letter\sec-1-letter-2.docx

ज्ञापांक– 155(11 /स्वा0, पटना, दिनांक– 4/3/2014

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ शीघ्र स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 155(11) /स्वा0, पटना, दिनांक– 4/3/2014

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/वाणिज्य–कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना /अध्यक्ष, बिहार विद्युत पर्षद्, पटना/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग/स्थानीक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।